रुकमणी बनाम राज सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुक० 199/20..
	आधार पर, जमाबंदी, नामांतरण ... में जांच रिपोर्ट प्राप्त कर पत्रावली दिनांक 19.11.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
19/11/25	पत्रावली पेश हुई प्रार्थिया उप० तहसीलदार बांदीकुई से प्रकरण में साक्ष्य रिकॉर्ड मिलान के आधार पर जमाबंदी, नामांतरण के संबंध में जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी कर वास्ते रिपोर्ट TDR को पत्रावली दिनांक 17/12/2025 को पेश हो (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
	17/12/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया उप०। वास्ते रिपोर्ट TDR व पत्रावली दिनांक 21/01/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई
21/01/2026	पत्रावली पेश हुई प्रार्थिया उप० वास्ते रिपोर्ट TDR व पत्रावली दिनांक 18/02/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
Sir, पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा रिपोर्ट दि० 17/11/2025, ... ILR व NTR अनुसार रुकमणी पुत्री ... व शान्ति पुत्री ... के नाम की भूमि नियमानुसार नाम दुरुस्त करना उचित है। (हस्ताक्षर) 18/02/2026	18/02/2026 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया उप०। फरीक सरकार उप०। इस बाबत अधिशासी पर हस्ताक्षर कर रिपोर्ट पुष्ट की। प्रार्थीया एवं फरीक सरकार ने बहस की। बहस श्रवण किया। प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का

रुक्मणी बनाम राज.सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 149/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अवलोकन किया। अतः प्रार्थिया एवं पैरोकार सरकार के कथन पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीप्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 LRAct स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 18/2/26 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः— 149/2025 (विविध)
प्रकरण दायर दिनांकः—17.10.2025
प्रकरण निर्णय दिनांकः—18.02.2026

उनवान

1. रूकमणी पुत्री रामकिशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम सोडाला तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बॉदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लै0 रे0 एक्ट

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट इस आशय का पेश किया कि ग्राम सोडाला तहसील बांदीकुई जिला दौसा की जमाबंदी संवत् 2073—2076 खाता संख्या 87, 86, 144, 125, 111, एवं ग्राम आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा की जमाबंदी संवत् 2076—2079 खाता संख्या 76, एवं ग्राम अनंतवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा की जमाबंदी संवत् 2073—2076 खाता संख्या 283, 223, 214 में मेरा नाम शांति पुत्री रामकिशन दर्ज है जो कि गलत है। अब मैं इसमें रूकमणी पुत्री रामकिशन करवाना चाहती हूँ जो कि सही है। सही दस्तावेजों की फोटो प्रति संलग्न है। ग्राम सोडाला के खाता संख्या 87, 86, 144, 125, 111 व ग्राम अनंतवाडा के खाता संख्या 283, 223, 214 व आभानेरी के खाता संख्या 76 में शांति नाम दर्ज रिकॉर्ड है जबकि सही नाम रूकमणी है। अतः सही नाम रूकमणी किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। पैरोकार सरकार उपस्थित। इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर कर दिनांक 18.02.2026 को रिपोर्ट पुष्ट की कि पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 17.10.2025 पटवारी, आईएलआर व नायब तहसीलदार अनुरूप रूकमणी पुत्री रामकिशन व शांति पुत्री रामकिशन एक ही महिला के नाम है नियमानुसार नाम दुरूस्त करना उचित है। तहसीलदार बांदीकुई एवं पटवारी हल्का अनंतवाडा की रिपोर्ट दिनांक 17.10.2025 के अनुसार प्रार्थी के जमाबंदी संवत् 2076—79 के खाता संख्या ग्राम सोडाला के खाता संख्या 87,86,144,125,111 में प्रार्थी के उपरोक्त खातों की जमाबंदी संवत् 2076—79 मे प्रार्थी का नाम शांति पुत्री रामकिशन जाति गुर्जर दर्ज रिकॉर्ड है। परंतु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार, राशनकार्ड , पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम रूकमणी देवी जाति गुर्जर दर्ज रिकॉर्ड है। शांति व रूकमणी देवी एक ही व्यक्ति है

तथा प्रार्थी का सही नाम रूकमणी पुत्री रामकिशन जाति गुर्जर है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र बहस की। हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम शांति पुत्री रामकिशन सहवन से दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थिया का सही नाम रूकमणी पुत्र रामकिशन है। राजस्व जमाबंदी में उक्त त्रुटि सहवन से कारित होना प्रतीत होती है। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः स्वयं प्रार्थीया की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि ग्राम सोडाला की जमाबंदी खाता संख्या 87, 86, 144, 125, 111 एवं ग्राम आभानेरी तहसील बांदीकुई जिला दौसा की जमाबंदी खाता संख्या 76 एवं ग्राम अनंतवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा की जमाबंदी खाता संख्या 283, 223, 214 में तहसीलदार बांदीकुई स्वयं जॉच करे एवं पूर्ण संतुष्ट होवे कि प्रार्थीया रूकमणी पुत्री रामकिशन एवं शांति पुत्री रामकिशन एक ही महिला के नाम है अथवा नही। यदि दोनो नाम एक ही महिला के हो तो रिकॉर्ड में शुद्व नाम दर्ज कर विधिवत अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को सुनाया जाकर एवं टंकित करवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

18/2/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई